



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ 1948 (श10)
(सं0 पटना 827) पटना, सोमवार, 20 जुलाई 2026

सं0सं0-02/सा0सु0वृ0आ0स्थल-01/2026-1631
समाज कल्याण विभाग

संकल्प

20 जुलाई, 2026

विषय:— नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों प्रति यूनिट अनावर्ती मद में रु0 42.97 लाख (बयालीस लाख सन्तानवे हजार) प्रत्येक 5 वर्ष के लिए तथा आवर्ती मद में रु0 63.38 लाख (तिरसठ लाख अड़तीस हजार) वार्षिक के अनुसार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने तथा विभाग अन्तर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति।

राज्य के निराश्रित, उपेक्षित, बेसहारा एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय सहित अन्य सुविधाओं के माध्यम से उन्हें स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन-यापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 से ही राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में 100 बेड (50-50 की दो युनिट) तथा शेष सभी अनुमण्डलों में 50 बेड (एक युनिट) अर्थात् कुल $139 \times 50 = 6,950$ आवासन क्षमता वाले 139 युनिट आश्रय स्थल का संचालन प्रति युनिट (50 बेड) अनावर्ती मद में रु0 42.97 लाख (बयालीस लाख सन्तानवे हजार) (प्रत्येक 05 वर्ष के लिए) तथा आवर्ती मद में रु0 63.38 लाख (तिरसठ लाख अड़तीस हजार) (वार्षिक दर से) व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद से प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना नगर विकास एवं आवास विभाग से संचालित करने की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

2. वृद्धजनों के सुरक्षित आवासन हेतु वर्ष 2013-14 से ही वृद्धाश्रम सहारा योजना का सफल संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग के कार्यक्षेत्र को देखते हुए एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के सफल तथा बेहतर क्रियान्वयन हेतु इस योजना को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किया जाना समीचीन है।
3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों प्रति यूनिट अनावर्ती मद में रु0 42.97 लाख (बयालीस लाख सन्तानवे हजार) (प्रत्येक 5 वर्ष के लिए) तथा आवर्ती मद में रु0 63.38 लाख (तिरसठ लाख

- अड़तीस हजार) (वार्षिक) के अनुसार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने तथा विभाग अन्तर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने पर सभी वृद्धाश्रमों में मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना का स्वीकृत दर ही प्रभावी होगी तथा 100 बेड वाले वृद्धाश्रम को 50 बेड को दो यूनिट मानते हुए दोगुनी राशि अनुमान्य होगी। दोनों योजनाओं को समाहित किये जाने पर योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किये जाने हेतु पूर्व से प्रावधानित मानव बल की संख्या में आंशिक परिवर्तन किया गया है। **(परिशिष्ट-क)**
 5. मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना का संचालन गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था/न्यास/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत गैर लाभकारी कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा। संस्था को संचालन हेतु लाभुकों की संख्या के अनुरूप आवश्यकतानुसार मदवार अथवा समेकित रूप से राशि दी जा सकेगी। इस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।
 6. योजना के संचालन हेतु राशि का व्यय विपत्र कोड-51-2235021040111 के संगत विषय शीर्ष से किया जा सकेगा अथवा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग के माध्यम से नये विपत्र कोड खोलवाकर किया जा सकेगा।
 7. प्रस्ताव पर संचिका सं०-सं०सं०-02/सा०सु०वृ०आ०स्थल-01/2026 के टिप्पणी पृ० सं०-32/टि० पर दिनांक- 15.07.2026 को मद संख्या-14 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
 8. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 827-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>